25

राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट शाखा रीवा, सम्भाग रीवा (म0प्र0)

201—

Rs. 201—

R5152-III/16

1. रामबहोर सेन पिता गंगा प्रसाद सेन उम्र 58 वर्ष
2. पन्नालाल सेन पिता गंगा प्रसाद सेन उम्र 52 वर्ष
3. चन्द्रभान सेन पिता गंगा प्रसाद सेन उम्र 45 वर्ष
4. रामगोपाल सेन पिता गंगा प्रसाद सेन उम्र 40 वर्ष

सभी निवासी ग्राम गहिलवार थाना व तहसील सेमरिया जिला रीवा म0प्र0

..........................निगरानीकर्तागण

बनाम

कामता सेन तनय मोलई सेन उम्र 63 वर्ष निवासी ग्राम [illegible] थाना व तहसील सेमरिया जिला रीवा म0प्र0 ....गैरनिगरानीकर्ता

श्री कृष्ण कान्त मिश्रा एड0 ने आज दिनांक 21-3-16 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश श्रीमान् तहसीलदार महोदय तहसील सेमरिया के आदेश दिनांक 10.11.2015 अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0 संहिता 1959 ई0

मान्यवर,

निगरानी के संक्षेप में तथ्य निम्न है :–

01. यह कि गैर निगरानीकर्ता कामता सेन द्वारा तहसील न्यायालय में आराजी नं0 44/2 रकवा 1.98 एकड़ स्थित ग्राम गहिलवार कला–128 की माप किये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया था जिस पर राजस्व निरीक्षक द्वारा पटवारी के साथ दिनांक 25.06.2014 को आराजी नं0 44/2 की नाप की गई नाप की कोई सूचना निगरानीकर्तागण को नही दी गई किन्तु निगरानीकर्तागण को नाप की जानकारी होने पर मौके से आपत्ति प्रस्तुत की गई किन्तु निगरानीकर्तागण को किसी तरह की कोई सूचना दिये बिना व सुनवाई का अवसर दिये बिना अंतिम आदेश पारित कर दिया गया। व निगरानीकर्ता की 0.25 एकड़ भूमि को जबरन अनाधिकृत रूप से गैर निगरानीकर्ता के पक्ष में नाप कर पुष्टि कर दी गई जबकि आराजी नं0 44/2 का कोई भी नक्शा तरमीम नही था चूंकि आराजी नं0 44 निगरानीकर्ता व गैर निगरानीकर्ता की पुस्तैनी भूमि है जिसमें दोनो के पूर्वज आधे–आधे भाग पर काबिज दखील थे तथा नामांतरण अलग–अलग हो

21/3/16

21/3/16

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निगरानी/5151/दो/16 जिला-रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22/5/18	आवेदक के अधिवक्ता श्री कृष्ण कुमार मिश्रा उपस्थित होकर उनके द्वारा यह निगरानी तहसीलदार तहसील सेमरिया जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 02अ-12/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 10-11-16 के विरूद्ध म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2- आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से स्पष्ट है कि अनावेदक द्वारा आराजी न. 44/2 रकबा 1.98 डिस्मिल का सीमांकन किये जाने का आवेदन पेश किया है। आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि सरहद्दी कास्तकार होने के कारण सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिए बिना सीमाकंन की कार्यवाही की गई है। जिससे आवेदक का 0.25 एकड भूमि का जबरन अनाधिकृत रूप से नाप कर अनावेदक के पक्ष में पुष्टि कर दी गई है, जिससे व्यथिथ होकर इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है जबकि आवेदक चाहता तो वह अपना सीमांकन कराने के लिए स्वयं स्वतंत्र था। तहसीलदार	

द्वारा सरहद्दी कास्तकारों को सूचना दी गई है। स्थल पंचनामा एवं सूचना पत्र में हस्ताक्षर बने हुए हैं आवेदकगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे स्पष्ट होता कि वह सरहद्दी कास्तकार है और आदेश पारित करते समय रामबहोर सेन द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की थी लेकिन आपत्तिकर्ता द्वारा प्रकरण संचालित होने के समय वह उसमें भाग नहीं लिया जिससे उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई थी इससे स्पष्ट है कि तहसीलदार तहसील सेमरिया के आदेश दिनांक 10/11/15 में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती जिसके कारण उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है।

3- उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार तहसील सेमरिया जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 02अ-12/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 10-11-16 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हों। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालयों को अभिलेख के साथ भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य